

कार्यालय कलेक्टर, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)
// सार्वजनिक सूचना //


क्रमांक / भू-अर्जन / 109 / 2019

धमतरी, दिनांक / 08 / 2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की "भखारा-सिलघट मार्ग निर्माण" हेतु ग्राम भखारा स्थित निजी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के प्रावधानों के तहत नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित भूमि को कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण							
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.नं.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा	प्राधिकृत अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8
धमतरी	कुरुद	भखारा /17	श्यामसिंह पिता जुगराज सिंह गौर	458	0.76 हेक्टेयर	0.02 हेक्टेयर	कलेक्टर जिला धमतरी


02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।


कलेक्टर
जिला धमतरी

पृ.क्रमांक 6160 / भू-अर्जन / 109 / 2019
प्रतिलिपि :-

धमतरी, दिनांक 14/08/2019

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरुद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग धमतरी संभाग धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट एवं स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार कुरुद, तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।


कलेक्टर
जिला धमतरी